

भीलवाड़ा में ग्यारह लाख रुपये की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार

मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के बिल पास करने की एवज में डॉक्टर ने रिश्वत मांगी थी

भीलवाड़ा/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसबी) की भीलवाड़ा-द्वितीय टीम ने सोमवार को केशव पौरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा के मेडिकल ऑफिसर डॉ. पंकज छीपा को ग्यारह लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का बिल पास करने की एवज मांगी गई थी।

■ **डॉक्टर को दो लाख भारतीय चलन मुद्रा के असल नोट एवं नौ लाख के डमी नोट की रिश्वत राशि (कुल 11 लाख रुपये) लेते गिरफ्तार किया**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसबी भीलवाड़ा-द्वितीय को परिव्रादी ने शिकायत दी कि उसके अस्पताल (श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाड़ा) के मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बिलों को नोटिस नहीं देने व अनियमितता



आरोपी डॉक्टर।

सैटल करने व बिल पास करने की एवज में मेडिकल ऑफिसर डॉ. पंकज छीपा द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। जिसके बाद परिवादी को आरोपी डॉ. पंकज छीपा के पास भेजकर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा 9.50 लाख रुपये डॉ. कुलदीप (सीनियर डॉक्टर) के लिये एवं 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए

रिश्वत की मांग की गई। जिस पर एसबी भीलवाड़ा-द्वितीय पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉ. पंकज छीपा को मांग के अनुसरण में 2 लाख भारतीय चलन मुद्रा के असल नोट एवं 9 लाख के डमी नोट की रिश्वत राशि (कुल 11 लाख रुपये) लेते गिरफ्तार किया गया।

विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई

- कोर्ट के आदेश पर उदयपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए
- करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई के बाद जस्टिस समीर जैन ने 42 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद की एफआईआर पर फैसला रिजर्व रखा

जोधपुर, (का.सं.)। फिल्म प्रोड्यूसर-डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की गिरफ्तारी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की एकलपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर उदयपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव और एसपी योगेश गोयल वर्चुअली कोर्ट के सामने पेश हुए। मामले में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलील सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आईजी से कई सवाल पूछे। इनमें एकबारगी तो कोर्ट ने पूरे प्रकरण को ही सीबीआई से जांच कराने तक की बात कही। करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई के बाद जस्टिस समीर जैन ने 42 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद की एफआईआर पर फैसला रिजर्व रखा है।

जानकारी के अनुसार राजस्थान के इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्धिया ने विक्रम भट्ट से फिल्म बनाने के लिए 42 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था। धोखाधड़ी का एहसास होने पर 17 नवंबर को विक्रम भट्ट समेत 8 लोगों के खिलाफ उदयपुर

में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद उदयपुर पुलिस ने भट्ट के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी व फर्जी बैंडर संदीप को मुंबई से पकड़ा था। वहीं विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को 7 दिसंबर को मुंबई के उनके फ्लैट से गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 9 दिसंबर को उदयपुर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था।

वहीं दूसरी तरफ 9 दिसंबर को ही राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर बेंच) में विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में सचिव कुलदीप शर्मा द्वारा केंद्रीय गिरफ्तारी में जल्दबाजी का रूख अपनाने पर आईजी, एसपी और जांच अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का

आदेश दिया था। मामले में याचिकाकर्ता विक्रम प्रवीण भट्ट (56), उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट (44), मेहबूब अंसारी (40), मुदित बुट्टन (29), विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा (30), गंगेश्वरलाल श्रीवास्तव (50) और अशोक दुबे (51) हैं। वहीं प्रतिवादी उदयपुर के अजय मुर्धिया हैं।

याचिकाकर्ताओं के वकील महेंद्र गोदारा ने कोर्ट में तर्क दिया कि विक्रम भट्ट फिल्म इंडस्ट्री में प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर-डायरेक्टर हैं। उन्हें उनकी पत्नी के साथ मुंबई से रिवार को गिरफ्तार किया गया। वकील ने तर्क दिया कि यह मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, क्योंकि पक्षकारों के बीच कंट्रैक्चुअल विवाद है।

वकील ने बताया कि मौजूदा एफआईआर को देखने से साफ पता चलता है कि पक्षकारों के बीच फिल्म बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगभग 42 करोड़ रुपए की राशि कंसिडरेशन थी। वकील ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को विधिवत क्रियान्वित किया गया। इसके बाद भी भट्ट पर धोखाधड़ी और चोटींग के आरोप लगाए गए, जो ग़लत हैं। वकील ने कहा कि मामले में कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई है। वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता के कर्मचारियों के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज कराई है।

सरकारी वकील ने कोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता के कर्मचारियों के बयानों के बाद प्रारंभिक जांच की गई। इसके बाद कानून के अनुसार विधिवत रूप से याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की गई। भट्ट ने अतिरिचित खर्च किए। इसी कारण विश्वासघात और धोखाधड़ी का अपराध याचिकाकर्ता की ओर से किया गया। बहरहाल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवाद की एफआईआर पर फैसला रिजर्व रखा गया है।

घने कोहरे के कारण जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस रास्ता भटक गई

बस को श्रीगंगानगर जाना था, लेकिन सादुलशहर वाले रास्ते पर चली गई

श्रीगंगानगर, (निंस्)। प्रदेश में सोमवार सुबह श्रीगंगानगर, अलवर और जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा। श्रीगंगानगर में विजिबिलिटी पांच मीटर तक रह गई थी। इससे वाहन चालकों को ख़ासी परेशानी का सामना करना पड़ा। घने कोहरे के कारण जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही बस सादुलशहर की सड़क पर चली गई। बाद में ड्राइवर ने बस को वापस मोड़ा।

जानकारी अनुसार कोहरे के कारण जयपुर से श्रीगंगानगर आ रही बस रास्ता भटक गई और सादुलशहर जाने लगी, जिसके बाद ड्राइवर को पता चला तो उसने बस को वापस मोड़ लिया। कृषि अनुसंधान केंद्र, श्रीगंगानगर पर सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री रिकार्ड किया गया। इससे पहले रविवार को न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री व अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री रिकार्ड

86500 के नकली नोट सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

नागौर/जयपुर। नागौर पुलिस ने भारतीय जाली मुद्रा को बाजार में चलाने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 86 हजार 500 मूल्य के जाली नोट बरामद किए हैं और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस के

- जयपुर पुलिस के इनपुट पर आरोपियों से पुलिस ने 500-500 के 173 जाली नोट बरामद किए**

इनपुट पर गिरफ्तार किए गए इन आरोपियों से पुलिस ने 500-500 के 173 जाली नोट बरामद किए हैं।

पुलिस अधीक्षक नागौर मृदुल कच्चावा ने बताया कि सोमवार को जयपुर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर चौर तेजा कॉलोनी में दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अजय सिंह, अशोक और जगदीश कॉलोनी में बैठे हैं और उनके पास जाली भारतीय मुद्रा है, जिसे वे बाजार में



नकली नोट प्रकरण में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया।

चलाने की फिराक में हैं। आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 500-500 रुपये के कुल 173 जाली नोट बरामद किए गए, जिनका कुल मूल्य 86 हजार 500 है। गिरफ्तार अभियुक्त अजय सिंह पुत्र कल्याण सिंह (36) एफएम के राजवाड़ा कहेम की ओर से गिरफ्तार किए गए और अशोक जाट पुत्र हुकमा राम (23) व जगदीश जाट पुत्र नरपत राम (26) चौर तेजा

कॉलोनी थाना कोतवाली नागौर के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इस कार्रवाई में एसएचओ वेदपाल शिवराण के साथ कांस्टेबल गरीबाराम, राकेश सांगवा, नरेंद्र, दुर्गा राम, घमण्डा राम और मनोज का विशेष योगदान रहा।

चित्तौड़गढ़ कलैक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली

- जिला कलैक्टर की ई-मेल आईडी पर आधी रात धमकी दी, पुलिस जांच में जुटी**
- सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे कलैक्ट्रेट परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया गया**

बम निरोधक दस्ता और डॉंग स्व्वायड टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सघन सर्च अभियान चलाया गया। प्रत्येक कमरे, कार्यालय और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की गई। धमकी भरे मेल की जांच साइबर टीम द्वारा की जा रही है। मेल किसने और कहाँ से भेजा, इसका पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल किसी भी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन

एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। उदयपुर से बम निरोधक दस्ते और ईआरटी के कमांडो द्वारा सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट परिसर में गहनता से जांच की गई। इस दौरान एसओजी की अति. पुलिस अधीक्षक स्वाती शर्मा सहित अन्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने आम लोगों से अफवाहों का ध्यान न देने और सहयोग बनाने की अपील की है। इस सम्बन्ध में कोतवाली थाने में प्रकरण भी दर्ज किया गया।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर जिला चूरु (राज.)		
Email-raj.churu.bika@gmail.com	Phone number 01567-294504	
क्रमांक:- न.पा.रा. / 2025-26 / 10614	दिनांक:- 11.12.2025	
Notice Inviting Bid		
Bid for 04 Work is invited from interested bidders upto 22.12-2025, 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) (www.eproc.rajasthan.gov.in)		
NIB Code –DLB2526A8992	UBN Code – (DLB2526WSRC26881), (DLB2526WSRC26882), (DLB2526WSRC26883), (DLB2526WSRC26884)	
राज.सं.वार / सी / 25 / 15821	अधिशायी अधिकारी नगरपालिका, राजलदेसर	

कार्यालय नगरपालिका मण्डल राजलदेसर जिला चूरु (राज.)		
Email-raj.churu.bika@gmail.com	Phone number 01567-294504	
क्रमांक:- न.पा.रा. / 2025-26 / 10621	दिनांक:- 11.12.2025	
Notice Inviting Bid		
Bid for 05 Work is invited from interested bidders upto 22.12-2025, 06.00 PM. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) (www.eproc.rajasthan.gov.in)		
NIB Code –DLB2526A8990	UBN Code – (LB2526WSRC26876), (DLB2526WSRC26877), (DLB2526WSRC26878), (DLB2526WSRC26879), (DLB2526WSRC26880)	
राज.सं.वार / सी / 25 / 15822	अधिशायी अधिकारी नगरपालिका, राजलदेसर	

Office of The Executive Engineer, Water Resources Navnera Project Dn. I Kota		
NO. EEWR/KOTA/NIT/2025-26/3048-77	DATE: 10.12.2025	
E-NIT NO. 06/2025-26		
Bid for 08 Nos. Civil works is invited for interested bidders from 11.12.2025 (9.30Hr) to 21.12.2025 till 18.00 Hrs. Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in & (http://sppp.rajasthan.nic.in and www.dipr.rajasthan.gov.in & www.water.rajasthan.gov.in)		
UBN NO. 1.WR2525WSOB1961, 2.WR2525WSOB1962, 3.WR2525WSOB1963, 4.WR2525WSOB1964, 5.WR2525WSOB1965, 6.WR2525WSOB1966, 7.WR2525WSOB1967, 8.WR2525WSOB1968	Executive Engineer, Water Resources Navnera Project Dn-I Kota	
DIPR/C/18467/2025		

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET (RAJASTHAN)		
File No. 1918	DATE: 10.12.2025	
Notice Inviting Bid		
Bids for Nit No. 23/2025-26 (Road Works)2 Nos. are invited from interested biddersupto Date 22.12.2025, 06.00 P.M. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state. and departmental website. The approximate value of the procurements Rs. 184.96 Lacs.		
NIB NO. PWD2526A4682, UBN NO. 1. PWD2526WSOB18684, 2. PWD2526WSOB18685	EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION AMET	
DIPR/C/18458/2025		

कार्यालय अधिशायी अभियन्ता जन.स्वा.अभि.विभाग, नगर खण्ड, तृतीय (दक्षिण), मालवीय नगर जयपुर		
E-mail: eecityd3j.la.phed@rajasthan.gov.in	दूरभाष सं. 0141-2840748	
क्रमांक- अ/अन. ख. 3 (द.)/2025-26/4144-57	निविदा सूचना दिनांक- 11.12.2025	
पावसावन के राजवाड़ा कहेम की ओर से पंजीकृत संबद्धों को नियंत्रण सकार के नियंत्रण अधीन हो, से निष्पत्ति प्रपत्र में ई-प्रोक्चरमेंट प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक संकेतक ई-निविदा में भाग लेने हेतु अपने डिजिटल हस्ताक्षर (डीएसए) http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। निविदा संबंधित विवरण निम्नलिखित बैकसाईट पर देख सकते हैं।		
1. http://www.eproc.rajasthan.gov.in (Online) 2) http://sppp.rajasthan.gov.in		
S.No	NIT Number	UBN Code
1	38/2025-28	PHE2526WSOB09673
(भावना मीणा) अधिशायी अभियन्ता,जन.स्वा.अभि.विभाग नगर खण्ड-तृतीय (दक्षिण) जयपुर।		
DIPR/C/18460/2025		

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर, जिला - पाली		
क्रमांक : न.पा.सु./विकास/ ई-निविदा / 2025-26 / 7852	दिनांक : 10.12.2025	
:- ई-निविदा 13/2025-26 सूचना :-		
नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की ओर से मायवता प्राप्त पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा द्वारा 08 विकास कार्यों की कुल लागत 125.38 लाख रुपये की निविदा आमंत्रित की जाती है। आंशिक अथवा पूर्णतः निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार ई-निविदा स्वीकृत अधिकारी को होगा। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्तें कार्यालय में एवं विभाग की वेब साईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।		
जिनके UBN NO. निम्नलिखित है:-		
1. DLB2526WSOB27052		
2. DLB2526WSOB27054		
3. DLB2526WSOB27056		
4. DLB2526WSOB27058		
5. DLB2526WSOB27059		
6. DLB2526WSOB27061		
7. DLB2526WSOB27062		
8. DLB2526WSOB27063		
Bid Selling Last Date		22-12-2025/10.00 AM
प्रशासक	अधिशायी अधिकारी	
नगरपालिका, सुमेरपुर	नगरपालिका, सुमेरपुर	
राज.सं.वार / सी / 25 / 15868		

कार सवार युवकों पर बदमाशों ने हमला किया

उदयपुर, (का.सं.)। अम्बामाता थाना क्षेत्र में दो बदमाश कार को रोक उसमें सवार दो युवकों पर चाकू से हमला कर नकदी, जेवर व मोबाईल छीन ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात में दुकधिया गणेशजी रोड पर दो बदमाशों ने कार को रोक उसमें सवार ब्रम्हपोल निवासी आयुष पंवार एवं सेंट्रल एरिया निवासी यश माली पर चाकू से हमला कर सोने की चेन, 25 हजार रुपये नकदी एवं मोबाईल छीन कर फरार हो गए। आयुष व यश दोनों कार में विला से घर लौट रहे थे। जहां बीच रास्ते में दुधिया गणेशजी के समीप सामान खरीदने के लिए रूक कर गली की तरफ

गाए, जहां मिले दो बदमाशों ने धमकाते हुए कार की चाबी मांगी। नहीं देने पर फाटक खोल कर खींच कर बाहर निकाल चाकू से आयुष के पांव पर हमला कर मोबाईल व गले से चेन छीन ली इसको देख भागे यश का पिछा कर उसके पीठ में चाकू से हमला कर मोबाईल तथा कार से पच्चीस हजार रुपये नकदी छीन ले गए। वहां से कुछ दूरी पर पहुंच कर परिजनों को सूचना करवाई। जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया। इस मामले में पुलिस ने भूपेश पुत्र प्रेम माली निवासी रती स्टेण्ड की रिपोर्ट पर हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की।

अलवर में पिकअप-बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत, दो घायल

अलवर, (निंस्)। अलवर में पिकअप और बाइक की भीषण टक्कर में एक बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस-प्रशासन के मौके पर समय से नहीं

- पुलिस-प्रशासन के मौके पर समय से नहीं पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा**

- गुस्साए लोगों ने पुलिस-प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया**

पहुंचने के कारण लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस-प्रशासन के



हादसे के बाद गुस्साये लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया।

खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। हादसे

में रामसिंह राजवत (70) की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि रामसिंह राजवत के बेटे मोहन सिंह राजवत (42) और पिकअप ड्राइवर लाड़ी गुर्जर (24) घायल हो गए। स्थानीय

लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल सका। प्रत्यक्षदर्शी राजेश ने बताया कि दोपहर तीन बजे प्रतापगढ़ के थानागाजी रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजेश ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन हैरानी की बात है कि काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही से गुस्साए स्थानीय लोगों ने पिकअप में रखी सज्जियों की कैरेट की जलाना शुरू कर दिया। थानागाजी रोड को जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस प्रशासन अब मौके पर पहुंचा और समझाइश की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन की ओर से उनके क्षेत्र में लगातार लापरवाही बरती जा रही है और इस हादसे ने उनकी सहनशीलता की सीमा को तोड़ दिया है।

तीन मंजिला इमारत तोड़ते समय हुआ हादसा

अजमेर, (निंस्)। हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र के पुष्कर रोड स्थित राधा विहार कॉलोनी की गली नंबर चार में सोमवार को तीन मंजिला इमारत को तोड़ने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। भवन का एक हिस्सा अचानक धरमरा कर गिर पड़ा, जिससे मलबे में दबने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भवन को जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान अचानक इमारत का हिस्सा गिरने से तेज आवाज के साथ धूल का गुबार उठ गया, जिससे आसपास के रिहायशी क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। कुछ समय के लिए कॉलोनी में भगदड़ जैसे हालात बन गए और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त बहुमंजिला इमारत करीब एक माह पूर्व बेची गई थी। नया मालिक पुराने ढांचे

- भरभराकर गिरी बिल्डिंग, मजदूर घायल, बड़ी जनहानि टली**

को हटाकर नया निर्माण कराना चाहता था। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि तोड़फोड़ कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। न तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ की निगरानी थी और न ही मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे।

हादसे के बाद मलबे में फंसे घायल मजदूर को अन्य मजदूरों की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए रवाना किया गया। इमारत का मलबा सड़क तक फैल जाने से कुछ समय के लिए आवागमन भी प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना पुलिस और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर जांच शुरू की।